

**न्यायालय अंचल अधिकारी, गाण्डेय (गिरिडीह)**


अभिलेख संख्या ..... 36/17-18 पृष्ठ संख्या ..... 01.....  
 अभिलेख का प्रकार ..... विधिपत्र.....

**आदेश फलक**

07/08/2020

आवेदक श्री डेबू कोलह पिता- स्व ओ शो कोलह साकिन- कोलहो मारनी, ताना- गाण्डेय, जिला- गिरिडीह से आवेदन दिया कि मोंगा- कोलहो मारनी के खाना सं 01 एवं 02 एलाइ सं 3/8 एवं 3/10 रकबा 4.01 एरूमि पर मुला मिचों पिता- समपुडीन मिचों मकडुल मिचों पिता- हाजी मिचों ग्राम- कोलहो मारनी में जबरन कबाज कर लिया है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से जांच-पड़ताल प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करी। अति लेख दिनांक 15.10.2020 को ररवे।


  
 अंचल अधिकारी,  
 गाण्डेय


15-10-2020

अभिलेख उपर्युक्त संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच-पड़ताल प्राप्त होइने पर प्रतिक्रिया कि आवेदक डेबू कोलह पिता- स्व ओ शो कोलह, ग्राम- कोलहो मारनी में कबाज मोंगा- कोलहो मारनी, खाना सं 01 एवं 02 रकबा 4.01 एरु से संबंधित मामला सिद्धांत से युक्त है।

यहां अति लेख की कार्रवाई अंजित जानी है।

लेखापिन एवं लखापिन

  
 अंचल अधिकारी,  
 गाण्डेय

  
 अंचल अधिकारी,  
 गाण्डेय

न्यायालय अंचल अधिकारी, गाण्डेय (गिरिडीह)